

अजमेर कारखाना समूह कार्मिक शाखा का संगठन चार्ट

मुख्य कारखाना प्रबंधक
(ऐ.के.अबरोल)



उप मुख्य कार्मिक अधिकारी
(राजेन्द्र कुमार सरोया)



स.का.अधि. (कैरिज व विद्युत)
वन्दना चौबे

स.का.अधि(का व भं.)
राधेश्याम चितारा

1.कार्मिक शाखा एक नजर में

यह लोको शॉप में मु. का. प्र. के प्रशासनिक कार्यालय ब्लॉक में स्थित है।

पता: लोको कारखाना अजमेर (राजस्थान) भारत-305001

दूरसंचार: दूरभाष नं.- 0145-2663730 फेक्स नं. 0145-2663730

मोबाईल नम्बर +919001196458

2.कार्य, शक्तियां और ड्यूटी कार्मिक शाखा

(i) कारखाना कार्मिक अधिकारी

यह कार्मिक शाखा का प्रभारी है। ये निम्नलिखित कार्य और ड्यूटी संपन्न करते हैं।

(क) कर्मचारियों के स्थापना संबंधी मामले जिनमें शामिल हैं-

खेल कोटे के अन्तर्गत भर्ती,अनुकंपा आधार पर,चयन,उपयुक्तता ट्रेड टैस्ट कराए जाते हैं,पदोन्नति,पदावनति,स्थानान्तरण इत्यादि वरिष्ठता निर्धारण,सेवा रिकार्ड का रख-रखाव,मासिक भुगतान,दावे और बकाए का भुगतान,प्रोत्साहन बोनस और पीएलबी बोनस,सरकारी फंड और कर्मचारी भविष्य फंड से अग्रिम,सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी का निपटारा, 1961 के अधिनियम के तहत अधिनियम अप्रेंटिसों का लक्ष्य , आचरण एवं नियमों और अनुशासनिक नियमों के साथ डीलिंग,दुर्घटना और मृत्यु क्षतिपूर्ति और मानव शक्ति योजना

ख) औद्योगिक संबंध

यहाँ दो मान्यता प्राप्त और दो गैर मान्यता प्राप्त यूनियन उ.प.रे.ए.यू.व उ.प.रे.म.सं. मान्यता प्राप्त और अनु. जाति/अनु.ज.जा और अन्य पिछड़ा वर्ग गैर मान्यता प्राप्त संघ हैं। रोजमर्रा की वार्ता के अलावा इन यूनियनों और संगठनों के

साथ पी.एन.एम. और अनौपचारिक के रूप में आवधिक बैठकें की जाती हैं। इनके साथ वार्ता में कर्मचारियों की शिकायतों के बारे में चर्चा की जाती है और उनका निवारण किया जाता है।

ग) न्यायिक मामले

इसके कर्मचारियों द्वारा न्यायपालिका के विभिन्न स्तर अर्थात् उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, कैट इत्यादि के कोर्ट मामलों के साथ डीलिंग करने हेतु कार्मिक शाखा के अन्तर्गत विधिक शाखा भी स्थापित है।

घ) कल्याण गतिविधियाँ

कार्मिक शाखा अपने कर्मचारियों की कल्याण गतिविधियों के संबंध में भी डील करते हैं जैसे:-

1. रेल आवासों का आवंटन, कर्मचारी हित निधि का संवितरण, रेलवे स्कूल का प्रबंध, कैंटीन, रेलवे पर क्लब और स्पोर्ट्स गतिविधियाँ।
2. फैक्ट्री अधिनियम और अन्य अधिनियम के प्रावधान का कार्यान्वयन अर्थात् मजदूरी अधिनियम का भुगतान, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम।
3. कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम और औद्योगिक विवाद अधिनियम।
4. कल्याण उपाय, कल्याण निरीक्षक की सहायता द्वारा कार्यान्वित किये जाते हैं।
5. टीम सहित शाखा का प्रमुख मुख्य कार्मिक निरीक्षक होता है।
6. कार्मिक शाखा के साथ विभिन्न कार्य संबंधी डीलिंग हेतु प्रत्येक वर्कशॉप में विभिन्न सैक्शन हैं, इन सैक्शनो का पर्यवेक्षण मुख्य कार्यालय अधीक्षक और कार्यालय अधीक्षक द्वारा किया जाता है।
7. सूचना के अधिकार अधिनियम- 2005 के तहत उप मुख्य कार्मिक अधिकारी भी जन सूचना अधिकारी की ड्यूटी संभालते हैं।

प्रत्येक सेक्शन को सौंपे गए कार्य के लिए पर्यवेक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होता है। ये सीधे कारखाना कार्मिक अधिकारी को रिपोर्ट करते हैं।

कर्मचारी को सौंपे गए कार्य के लिए वे उत्तरदायी होते हैं और सीधे अपने पर्यवेक्षक को रिपोर्ट करते हैं।

(ii) सहायक कार्मिक अधिकारी/कैरिज व विद्युत

(क) ये कैरिज वर्कशॉप में कार्यरत हैं। यद्यपि कैरिज वर्कशॉप व विद्युत के क्षेत्राधिकार के लिए पूरी तरह उत्तरदायी हैं, लेकिन ये कारखाना कार्मिक अधिकारी के दिशानिर्देश और पर्यवेक्षक के अन्तर्गत कार्य करते हैं,

- (ख) प्रत्येक सेक्शन का पर्यवेक्षक उसके सेक्शन को आवंटित किये गये कार्य के लिए उत्तरदायी होता है। ये सीधे स-का-अधि को रिपोर्ट करते है।
- (ग) कर्मचारी को सौंपे गए कार्य के लिए पूर्णतया उत्तरदायी होते है और ये सीधे अपने पर्यवेक्षकों को रिपोर्ट करते है।
- (घ) अनुशासनिक और अपील नियम सारणी I, II और III के अन्तर्गत रेलवे बोर्ड और उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबन्धक द्वारा शक्तियों की अनुसूची 'ए' से 'ई' तक शक्ति प्रत्यायोजित की गई है।
- (ङ) सूचना के अधिकार अधिनियम -2005 के तहत जन सूचना अधिकारी को शक्तियाँ प्रत्यायोजित है।

(iii) सहायक कार्मिक अधिकारी/ (कारखाना और भंडार)

- (क) ये लोको वर्कशॉप में कार्यरत है, यद्यपि लोको वर्कशॉप और भंडार के क्षेत्राधिकार के लिए पूरी तरह उत्तरदायी है, लेकिन ये कारखाना कार्मिक अधिकारी के दिशानिर्देश और पर्यवेक्षक के अन्तर्गत कार्य करते है।
- (ख) प्रत्येक सेक्शन का पर्यवेक्षक उसके सेक्शन को आवंटित किए गए कार्य के लिए उत्तरदायी होता है। ये सीधे स-का-अधि(का.) को रिपोर्ट करते है।
- (ग) कर्मचारी को सौंपे गए कार्य के लिए पूर्ण तया उत्तरदायी होते है और ये सीधे अपने पर्यवेक्षकों को रिपोर्ट करते है।
- (घ) अनुशासन और अपील नियम सारणी I, II और III के अन्तर्गत रेलवे बोर्ड और उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबन्धक द्वारा शक्तियों की अनुसूची 'ए' से 'ई' तक शक्ति प्रत्यायोजित की गई है।
- (ङ) सूचना के अधिकार अधिनियम - 2005 के तहत जन सूचना अधिकारी को शक्तियाँ प्रत्यायोजित है।

3. पर्यवेक्षक और जिम्मेवारी के चैनलों सहित निर्णय संबंधी अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

(1) कारखाना कार्मिक अधिकारी

- (क) नियमानुसार ये लोको और वैगन वर्कशॉप के स्टाफ के स्थापना संबंधी मामले के निर्णय लेने के उत्तरदायी है।
- (ख) ये कैरिज वर्कशॉप, विद्युत वर्कशॉप के स्थापना संबंधी मामलों पर स.का.अधि कैरिज और स.का.अधि. विद्युत और भंडार के द्वारा नियंत्रण सुनिश्चित करते है।

(2) स.का.अधि.(कैरिज और विद्युत)

- कैरिज कारखाना और विद्युत विभाग के कर्मचारियों के स्थापना संबंधी मामलों के लिए ये जिम्मेवार है।

(3) स.का.अधि.(कारखाना व भंडार)

लोको वर्कशाप व भंडार विभाग के कर्मचारियों के समस्त स्थापना संबंधी मामलों के लिए ये जिम्मेवार है।

4.संगठन द्वारा इसके कार्य सौंपने हेतु तय की गई शर्तें:-

कार्मिक शाखा अपने कर्मचारियों के कार्मिक मामलों के साथ डील करती है। दावों की रसीद और स्वयंप्रेरणा से।

1.सेक्शन पर्यवेक्षकों के पर्यवेक्षण में प्रकरण से संबंधित लिपिक प्रकरण को डील करता है और कार्मिक अधिकारी को प्रस्तुत करता है जो कि अपनी शक्तियों के अधीन अपना निर्णय लेता है, और सक्षम प्राधिकारी अर्थात संबंधित कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, वर्कशाप इंचार्ज और मु.का.प्र.को उनकी शक्ति के तहत प्रस्तुत करता है।

5.इसके द्वारा रखे या इसके नियंत्रण के अन्तर्गत या इसके कार्यों को निष्पादित करने हेतु इसके कर्मचारियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले नियम, विनियम, निर्देश, नियमावली और रिकार्ड्स।

- 1 भारतीय रेलवे स्थापना संहिता । और ।।
- 2 भारतीय रेलवे यॉत्रिक संहिता
- 3 निर्माण नियमावली
- 4 भारतीय रेलवे इंजीनियरिंग संहिता
5. भारतीय वित्त संहिता । और ।
- 6 महाप्रबंधक द्वारा जारी 'ए' से 'ई' तक की शक्तियों की अनुसूची
- 7.भारतीय रेलवे दुर्घटना नियमावली
- 8 कर्मकार प्रतिपूर्ती अधिनियम
- 9 मजदूरी अधिनियम का भुगतान
- 10 सेवा आचरण नियम 1956
- 11 पास और पेंशन नियमावली
- 12 लेखा संहिता-पार्ट-।
- 13 भविष्य निधि नियमावली
- 14 वित्त नियमावली
- 15 इंजीनियरिंग संहिता
- 16 भंडार कोड । और ।।
- 17 निरीक्षण नियमावली

- 18 रेलवे प्रस्तावना
- 19 प्रशासन और वित्त
- 20 रेलवे पेंशन नियमों की नियमावली
- 21 अनुशासन एवं अपील नियमावली

उपर्युक्त दस्तावेजों /नियमावली में नियमावली संहिता के अतिरिक्त विद्युत विभाग द्वारा निम्नलिखित, आवश्यक निर्देश देने और इ्यूटी निष्पादित करने हेतु रखे जाते हैं:-

- (क) भारतीय विद्युत अधिनियम 1956
- (ख) भारतीय विद्युत अधिनियम 1959
- (ग) विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948
- (घ) टेकनिकल क्रा.का विनियम 1987

6. इनके पास रखे जाने वाले और/या इनके नियंत्रण में आने वाले दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण -

कैरिज शॉप डीजल और वैगन शॉप, विद्युत शॉप ,कार्मिक शाखा पर्यवेक्षक प्रशिक्षण केन्द्र, रसा. एवं धातुज संगठन और लेखा को इनकी इ्यूटी निष्पादित करने हेतु निम्नलिखित दस्तावेज/नियमावली रखे जाते हैं:-

1. कर्मचारी का सेवा रिकार्ड
2. पास /पीटीओ और छुटी रिकार्ड
- 3 तकनीकी विनिर्देशन और निविदा सारणी और ठेके यदि कोई हो।
- 4 ठेके की सामान्य शर्तें।
- 5 ठेकेदार को भुगतान करने की सारणी,यदि कोई हो।
- 6 स्टाफ हेतु शिकायत रजिस्टर
- 7 नीति फाईले
- 8 डीलिंग फाईलें
- 9 वरियता सूची
- 10 कार्यकाल
- 11 संहिता,नियमावली,पाठ्य पुस्तक इत्यादि
- 12 व्यक्तिगत मामले
- 13 इसके कर्मचारी संबंधी अन्य दस्तावेज
- 14 वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट
- 15 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
7. इसमें जन सूचना के कार्यान्वयन या इसकी नीति के सूत्रीकरण हेतु सदस्यों द्वारा प्रस्तुतीकरण या विचार विमर्श के लिए विद्यमान किसी प्रबंध का कोई विवरण कैरिज

कारखाना, डीजल, लोको एवं वैगन शॉप, विद्युत शॉप, कार्मिक शाखा, लेखा कार्यालय, पर्यवेक्षक प्रशिक्षण केन्द्र, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री शोध केन्द्र एवं रसायन तथा धातु प्रयोगशाला व भंडार ।

8. बोर्ड परिषद समिति और जैसे कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों की इस हेतु गठित या परामर्श के उद्देश्य हेतु और जैसे कि अन्य निकायों और इन बोर्ड परिषद समितियों की बैठक सार्वजनिक हेतु खुली है या सार्वजनिक हेतु इन समितियों की बैठक के कार्यवृत्त सुलभ है का विवरण:-

कैरिज कारखाना, डीजल, लोको एवं वैगन शॉप, विद्युत शॉप, कार्मिक शाखा, लेखा कार्यालय, पर्यवेक्षक प्रशिक्षण केन्द्र, इलेक्ट्रॉनिक द्वारा प्रोसेसिंग केन्द्र एवं रसायन तथा धातुकर्म प्रयोगशाला से संबंधित सार्वजनिक प्रस्तुतीकरण के साथ डील करने हेतु अधिकारियों की समिति गठित है।

1) अपील अधिकारी एवं मुख्य कारखाना प्रबंधक (का.)

श्री ऐ.के.अबरोल.

टेलीफोन नम्बर कार्या.	मोबाईल नं.	फेक्स नं
[P & T] 0145 - 2663731	9001196450	0145-2663731
रेलवे 096 - 47000	-	-

2). जन सूचना अधिकारी (का.) एवं उप मुख्य कार्मिक अधिकारी (का.)

श्री राजेन्द्र कुमार सरोया,

टेलीफोन नम्बर कार्या.	मोबाईल नं.	फेक्स नं
[P & T] 0145 - 2663730	9001196458	0145 - 2663730
रेलवे 096 - 47004	-	-

3) सहा. जन सूचना अधिकारी (का.) एवं सहायक कारखाना प्रबंधक (लोको)

श्री रमेशचन्द मीणा,

टेलीफोन नम्बर कार्या.	मोबाईल नं.	फेक्स नं
[P & T] 0145 - 2663734	9001196460	0145 - 2663734
रेलवे 096 - 47010	-	-

9.अजमेर वर्कशॉप अधिकारियों की दूरभाष निर्देशिका

अधिकारी का नाम	पदनाम	स्टेशन	टेलीफोन नम्बर कार्या.	मोबाईल नं.	फेक्स नं
श्री ऐ.के.अबरोल	मु.का.प्र.	अजमेर	2663731	9001196450	2663731
राजेन्द्रकुमार सरोया	उप मुख्य कार्मिक अधिकारी	अजमेर	2663730	9001196458	2663730
वन्दना चौबे	स.का.अधि(के व वि)	अजमेर		9001196471	
राधेश्याम चितारा	स.का.अधि(का.व भ.)	अजमेर		9001196479	

10.प्रतिपूर्ति की प्रणाली सहित इसके प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को प्रतिमाह प्राप्त होने वाला पारिश्रमिक जैसा कि इसके विनियम में निर्धारित हैं (सातवे वेतन आयोग के अनुसार)

पदनाम	वेतनमान(रु)मे	स्तर	कर्मचारियों की संख्या	संख्या मान्य भत्तों सहित औसत मासिक वेतन	प्रति कर्मचारी औसत उत्पादकता प्रोत्साहन भत्ता	प्रति कर्मचारी औसत
अधिकारी						
कारखाना कार्मिक अधिकारी	67700-164800	11	1	67700	0	67700
स.का.अधि.	47600-115800	8	2	60400	0	60400
मंत्रालयिक						
मु.कार्या अधीक्षक	44900-109100	7	56	64100	0	64100
कार्यालय अधीक्षक	35400-86100	6	157	50500	0	50500
व.लिपिक	29200-70700	5	45	41600	0	41600
क.लिपिक	19900-48500	2	24	28400	0	28400
रि/शॉटर	18000-43600	1	-	-	-	-
टंकक						
का.अधी.टंकक	44900-109100	7	4	64100	0	64100
मु.टंकक	35400-86100	6	13	50500	0	50500
आशुलिपिक						
वैयक्तिक सहायक	44900-109100	7	1	64100	0	64100

गोप.सहा	35400-86100	6	10	50500	0	50500
आशुलिपिक	25500-62100	4	04	36400	0	36400
कार्मिक निरीक्षक	44900-109100	7	05	64100	0	64100
कार्मिक निरीक्षक	35400-86100	6	04	50500	0	50500
राज भाषा अधी	44900-109100	7	1	64100	0	64100
मुख्य विधि सलाहकार	44900-109100	7	1	64100	0	64100

11. बनाए हुए भुगतान की रिपोर्ट पर प्रस्तावित व्यय, समस्त योजना दर्शाते हुए इसके प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट

--- कोई नहीं ---

12 आवंटित राशि सहित आर्थिक सहायता कार्यक्रम के निष्पादन का तरीका और इस कार्यक्रम के लाभग्राहियों का विवरण:-

कैरिज कारखाना, डीजल, लोको एवं वैगन शॉप, विद्युत शॉप, कार्मिक शाखा, लेखा कार्यालय, पर्यवेक्षक प्रशिक्षण केन्द्र, इलेक्ट्रॉनिक द्वारा प्रोसेसिंग केन्द्र एवं रसायन तथा धातुज प्रयोगशाला भंडार विभाग के लिए।

--- कोई नहीं ---

13 छूट परमिट के प्राप्तकर्ताओं के विवरण या उसके द्वारा दिया गया प्राधिकरण

कैरिज कारखाना, डीजल, लोको एवं वैगन शॉप, विद्युत शॉप, कार्मिक शाखा, लेखा कार्यालय, पर्यवेक्षक प्रशिक्षण केन्द्र, इलेक्ट्रॉनिक द्वारा प्रोसेसिंग केन्द्र एवं रसायन तथा धातुज प्रयोगशाला भंडार विभाग के लिए।

--- कोई नहीं ---

14 सूचना के संबंध में विवरण उपलब्ध हो या जिसके द्वारा संभाली जाती हो

इलेक्ट्रॉनिक फार्म में ।

कैरिज कारखाना, डीजल, लोको एवं वैगन शॉप, विद्युत शॉप कार्मिक शाखा, लेखा कार्यालय, पर्यवेक्षक प्रशिक्षण केन्द्र, इलेक्ट्रॉनिक द्वारा प्रोसेसिंग केन्द्र एवं रसायन तथा धातुज प्रयोगशाला भंडार विभाग के लिए।

निर्माण ठेके की -

- 1-निविदा आमंत्रण सूचना
- 2-निविदा अनुसूची और विनिर्देश

3-कार्य ठेके की शर्तें एवं निबंधन

4-संविदा की सामान्य शर्तें

5-संविदा करार

15.सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण और सार्वजनिक प्रयोग के लिए कोई पुस्तकालय या वाचनालय है तो उसके कार्य घंटे

कैरिज कारखाना, डीजल, लोको एवं वैगन शॉप, विद्युत शाॅप, कार्मिक शाखा, लेखा कार्यालय, पर्यवेक्षक प्रषिक्षण केन्द्र,इलेक्ट्रोनिक द्वारा प्रोसेसिंग केद्र एवं रसायन तथा धातुज्ञ प्रयोगशाला भंडार विभाग के लिए।

--- कोई नहीं ----

16.जनसूचना अधिकारी का नाम, पदनाम और अन्य नोडल अधिकारियों का नाम एवं पदनाम

श्री ऐ.के.अबरोल	अपील अधिकारी एवं मुख्य कारखाना प्रबन्धक
श्री राजेन्द्र कुमार सरोया	जन सूचना अधिकारी एवं उप मुख्य कार्मिक अधिकारी - लोको कारखाना अजमेर
श्री रमेशचन्द मीणा	सहायक जन सूचना अधिकारी एवं सहायक कारखाना प्रबन्धक(लोको) कारखाना अजमेर
नोडल अधिकारी	
श्री डी.बालाजी	नोडल अधिकारी एवं उप मुख्य यात्रिक इंजीनियर,लोको कारखाना - अजमेर
श्री प्रमोद रावत	नोडल अधिकारी एवं उप मुख्य यात्रिक इंजीनियर- कैरिज, कारखाना - अजमेर
श्रीमती स्वाति जैन	नोडल अधिकारी एवं उप मुख्य बिजली इंजीनियर,विद्युत कारखाना - अजमेर
श्री एस के बवेजा	नोडल अधिकारी एवं उप मुख्य सामग्री प्रबन्धक, जनरल स्टोर - अजमेर
श्री आर.एल.खण्डेलवाल	नोडल अधिकारी एवं उप वित्त सलाहाकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी (कावभ) - अजमेर
श्री सूरज सिंह	नोडल अधिकारी एवं मुख्य रसायन एवं धातुज्ञ,प्रयोगशाला कैरिज - अजमेर
श्री एन.एस.पटियाल	नोडल अधिकारी एवं निदेशक पर्यवेक्षक

	प्रशिक्षण केन्द्र - अजमेर
--	---------------------------

17 अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्रकरण दिनांक 01-04-2022 से 30-04-2022

पुर्व बकाया प्रकरण दिनांक 01-04-2022 (अ)	नये प्राप्त प्रकरण दिनांक 01-04-2022 से 30-04-2022 (ब)	कुल प्रकरण (अ) +(ब)	निस्तारित प्रकरण दिनांक 01-04-2022 से 30-04-2022	बकाया प्रकरण दिनांक 30-04-2022
05	13	18	09	09

नोट:- विभिन्न मण्डलो एवं ईकाईयो द्वारा मुख्यालय पर भेजे गये अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ती की दिनांक 30-06-2021 की स्थिति।

18. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ती हेतु लम्बित प्रकरणो की समरी - प्रकरण जो की अजमेर कारखाने द्वारा भेजे गये दिनांक 30-04-2022 की स्थिति

सामान्य प्रकरण जहाँ महाप्रबन्धक का अनुमोदन मांगा गया	NIL
अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ती हेतु महाप्रबन्धक के अनुमोदन हेतु सुरक्षा सम्बन्धित पदो का अनुमोदन	NIL
लेखा विभाग से प्राप्त प्रकरण जहाँ मुख्य कार्मिक अधिकारी का अनुमोदन पदस्थापना हेतु आवश्यकता	NIL
मेडीकल चिकित्सा विकोटिकृत/षाररिक रुप से असक्षम प्रकरण जहाँ महाप्रबन्धक के अनुमोदन की आवश्यकता	NIL
स्थानान्तरण प्रकरण जहाँ की मुख्य कार्मिक अधिकारी एवं अन्य रेलवे से अनुमोदन लिया गया / उच्च आयु सीमा मे छूट।	NIL

19. जन सूचना कक्ष कारखाना की व विार प्रकरण स्थिति

वर्ष	कार्मिक	यांत्रिक	विद्युत	भंडार	सतकर्ता	अन्य	योग	अपील
13 अक्टूबर 05	020	-	01	-	01	-	022	01
2006	166	14	21	16	-	08	225	24
2007	368	05	05	06	-	26	410	65
2008	330	-	05	04	-	10	349	71

2009	485	01	-	05	-	-	491	63
2010	471	02	-	-	-	-	473	52
2011	609	27	01	04	-	06	647	54
2012	514	28	01	01	-	23	567	72
2013	568	22	01	12	-	08	611	56
2014	619	37	-	07	01	21	685	67
2015	561	17	02	09	-	07	596	52
2016	531	15	02	12	02	15	577	33
2017	359	04	01	09	-	15	388	34
2018	374	04	-	02	-	09	389	27
2019	366	01	02	01	-	10	380	34
2020	288	07	-	01	-	02	298	25
अप्रैल 2022	353	10	-	05	-	01	369	36
कुल योग	6982	194	42	94	04	161	7477	766

20. मुख्य कारखाना प्रबन्धक अजमेर युनिट मे दिनांक 30-04-2022 तक प्राप्त आवेदन एवं अपील तथा सीआईसी आवेदनो की स्थिति

क्र.स.	विवरण	संख्या
1.	अभी तक प्राप्त आवेदन	7477
2.	अभी तक प्राप्त आवेदनो का निस्तारण	7462
3.	बकाया प्रकरण	15
4.	अभी तक प्राप्त अपील आवेदन	766
5.	अभी तक प्राप्त अपीलो का निस्तारण	765
6.	बकाया अपील प्रकरण	01
7.	अभी तक सीआईसी मे लगे आवेदन	80
8.	अभी तक निस्तारण सीआईसी आवेदन	80

9.	बकाया सीआईसी प्रकरण	00
----	---------------------	----